



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 अप्रैल, 1983

वैशाख 7, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1513/सतह--वि०--1-95-81

लखनऊ, 27 अप्रैल, 1983

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 पर दिनांक 27 अप्रैल 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और, वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड
हास्पिटल (ग्रहण करना) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1983)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उनके सहयुक्त चिकित्सालयों के एकीकृत प्रतिरूप के प्राधार पर अनुरक्षण तथा विकास को, अन्य बातों के अतिरिक्त, सुनिश्चित करने की दृष्टि से जम साधारण क हित में किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ का नियंत्रण और

प्रबन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को पुनः अन्तरित करने के लिए और उक्त कालेज और चिकित्सालय से सम्बन्धित सम्पत्ति को ग्रहण करने के लिए और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 18 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

परिभाषाएँ

2—इस अधिनियम में,—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से है;

(ख) "किंग जार्ज मेडिकल कालेज" के अन्तर्गत ऐसे सभी शौषधालय, व्याख्यान कक्ष, संग्रहालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी हैं जिनका प्रयोग उक्त कालेज के संबंध में या उसके उपसाधन के या सहायक के रूप में किया जाता है ;

(ग) "गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल" का तात्पर्य गांधी मेमोरियल हास्पिटल, क्वीन मेरी हास्पिटल, कस्तूरबा क्लीनिक एण्ड हास्पिटल (अय रोग), बाल चिकित्सालय, दन्त चिकित्सा, विज्ञान संकाय से सम्बद्ध चिकित्सालय, कृष्ण रोग चिकित्सालय और रक्त बैंक से है, और इसके अन्तर्गत ऐसे सभी चिकित्सालय, शौषधालय और प्रयोगशालायें भी हैं जो पूर्वोक्त किसी चिकित्सालय और रक्त बैंक से सम्बद्ध या उसके सहायक के रूप में हों ;

(घ) "संस्था" का तात्पर्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल से है;

(ङ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य लखनऊ विश्वविद्यालय से है; और

(च) "राज्य सरकार" के बारे में निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि इसके अन्तर्गत संयुक्त प्रान्त की सरकार को निर्देश भी है।

3—नियत दिनांक को और उसी दिनांक से—

(क) ऐसी संस्थाओं का नियंत्रण और प्रबन्ध जो दिनांक 1 मार्च, 1921 से कार्यपालक आदेश द्वारा राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को अन्तरित किया गया था, उसके सम्बन्धित समस्त ऐसी सम्पत्ति और आस्तियों के, जो उक्त अन्तरण के समय विद्यमान थीं, नियंत्रण और प्रबन्ध सहित विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को पुनः अन्तरित और उसमें निहित हो जायगा ;

(ख) संस्था की समस्त सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ, चाहे उन्हें राज्य सरकार के सहायक अनुदान से या अन्य प्रकार से अर्जित या सृजित किया गया हो (जिसके अन्तर्गत संस्था के नाम में या उनके लेख में विश्वविद्यालय द्वारा दत्त कोई नकद धनराशि भी है चाहे वह किसी बैंक में या अन्य प्रकार से जमा हो) विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी ;

(ग) धारा 5 में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार, कर्तव्य, ऋण, दायित्व और आभार, जो किसी संस्था के कार्यकलाप के सम्बन्ध में संविदात्मक या अन्य प्रकार से उत्पन्न या प्रोद्भूत या उपगत हों, राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगे ;

(घ) किसी ऐसे इच्छा-पत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज में, चाहे उसे नियत दिनांक के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो, जिसमें किसी संस्था के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, दान, विन्यास या न्यास अन्तर्विष्ट हो, समस्त निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा मानों उसमें विश्वविद्यालय के स्थान पर राज्य सरकार का नाम लिखा गया हो।

4—इस अधिनियम के आन्तर पर राज्य सरकार को अन्तरित सम्पत्ति, आस्तियों और अधिकारों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा, जिनके लिए नियत दिनांक के ठीक पूर्व उनका उपयोग किया जाता रहा है या जिनके लिए उपयोग किया जाना आशयित है।

सरकार द्वारा
संस्था को ग्रहण
करना और
परिणामगत
उपबन्ध

5—धारा 6 के उपबन्धों को अधीन रहते हुए,—

(क) विश्वविद्यालय का प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी (जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी हैं) या अन्य सेवक जो किसी संस्था के कार्य-कलाप के संबंध में सम्यक् रूप से सेवायोजित हो और नियत दिनांक के ठीक पूर्व इस रूप में संस्था में सेवारत हो, जब तक कि वह नियत दिनांक से 90 दिन के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपने इस आशय की नोटिस न दे कि वह राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहता है, राज्य सरकार का अधिकारी या अन्य सेवक हो जायगा और उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और सेवा-निवृत्ति लाभ या अन्य विषय के साथ अपना पद धारण करेगा जिस पर वह विश्वविद्यालय के अधीन धारण करता यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता और वह इस प्रकार बना रहेगा जब तक कि राज्य सरकार के अधीन उसका सेवायोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उन निबन्धनों और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय;

(ख) नियत दिनांक के ठीक पूर्व किसी संस्था के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित विश्वविद्यालय का प्रत्येक अन्य अधिकारी (जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी हैं) या अन्य सेवक यदि राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाया जाय, तो जब तक कि वह राज्य सरकार को लिखित रूप में अपने इस आशय की लिखित नोटिस न दे कि वह राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहता है, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सरकारी सेवा में अन्तिम या अंतिम रूप से आमेलित किया जा सकता है, और तत्पश्चात् वह उन निबन्धनों पर राज्य सरकार का अधिकारी या अन्य सेवक हो जायगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसका सेवायोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उन निबन्धनों और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय, और अन्य व्यक्तियों की सेवायें ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश से, जिसे राज्य सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, समाप्त हो जायगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद “राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन करना” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके या अन्य प्रकार से, यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य विधान मण्डल द्वारा परिवर्तन करने से है।

सेवा सम्बन्धी
व्यावृत्ति

6—(1) प्रत्येक अधिकारी या अन्य सेवक को जिसकी सेवायें धारा 5 के अधीन राज्य सरकार को अन्तरित की जाती हैं, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय या, यथास्थिति, राज्य सरकार के नियंत्रण और प्रबन्ध में किसी चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध किसी चिकित्सालय में स्थानान्तरित और नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) धारा 5 की कोई बात किसी ऐसे सरकारी सेवक पर जिसकी सेवायें नियत दिनांक के ठीक पूर्व राज्य सरकार से विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रही हों, लागू नहीं समझी जायेंगी।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) धारा 5 के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण या उक्त धारा में निर्दिष्ट उसके नोटिस के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति, सरकारी सेवा में उसके आमेलित न किये जाने के परिणामस्वरूप उसकी सेवाओं की समाप्ति से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; और

(ख) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायगा।

विश्वविद्यालय
द्वारा प्रतिकर
के लिए दावा

7—(1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर, विश्वविद्यालय अपनी किसी सम्पत्ति, आस्ति और अधिकार से वंचित होता है तो वह नियत दिनांक से छः मास के भीतर ऐसी सम्पत्ति, आस्ति और अधिकार का व्योरा देत हुए, राज्य सरकार से दावा कर सकता है जिसमें प्रत्येक मद का व्योरा और उसके अर्जन की रीति, अर्जन क दिनांक को उसका मूल्य, निधि जिससे उसका अर्जन किया गया, नियत दिनांक को उसका बाजार मूल्य और अन्य संगत विवरण उल्लिखित किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई दावा प्राप्त होने पर राज्य सरकार एतदपश्चात् दी गयी रीति से कार्यवाही करेगी, अर्थात्—

(क) यदि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सम्पत्ति, आस्तियों और अधिकारों के, जिनके लिए प्रतिकर देय है, व्योरे के संबंध में और उनके लिए देय प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में सहमत हैं तो राज्य सरकार इस प्रकार अवधारित प्रतिकर का भुगतान करेगी;

(ख) जहां राज्य सरकार और विश्वविद्यालय खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में असहमत हों, वहां राज्य सरकार उस दिनांक से, जब दावा प्रस्तुत किया जाय, एक वर्ष की अवधि के भीतर विवादग्रस्त मामले को अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार विनिश्चय के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट करेगी।

(ग) जहां राज्य सरकार खण्ड (ख) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा दावा की गई धनराशि का भुगतान करने में विफल रहे या जहां राज्य सरकार विवादग्रस्त मामले को उक्त अवधि के भीतर अधिकरण को निर्दिष्ट करने में विफल रहे, वहां विश्वविद्यालय अगले छः मास की अवधि के भीतर ऐसा मामला अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट अधिकरण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा जिसमें एक सदस्य होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो या होने के लिए अर्ह हो, और उसे निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) स्थानीय निरीक्षण करना और साक्षियों या दस्तावेजों का परीक्षण करने या स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन जारी करना;

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें।

(4) अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने और अपनी क्षमता के अन्तर्गत समस्त विषयों को विनिश्चित करने की शक्ति होगी और अभिलेख में कोई बृटि होने की दशा में वह अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन या उसमें किसी गणित सम्बन्धी या लिपिकीय गलती को ठीक कर सकता है किन्तु उसके अधीन रहते हुए, अधिकरण का अपनी अधिकारिता के भीतर किसी विषय पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) उपर्युक्त प्रकार से अवधारण कर दिये जाने पर प्रतिकर की धनराशि का, यदि कोई हो, भुगतान राज्य सरकार के विवेकानुसार या तो नकद या दस से अधिक समान वार्षिक किस्तों में विश्वविद्यालय को किया जायगा और उक्त धनराशि या किसी समय बकाया धनराशि पर नियत दिनांक से छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जायगा।

अधिति
संख्या
सन् 1

8—राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के संबंध में जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन सद्भाव ना से किये गये कार्य का संरक्षण

9—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी,—

किंग जार्ज मेडिकल कालेज घटक महा-विद्यालय होगा

(1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, नियत दिनांक से, विश्वविद्यालय का एक घटक महाविद्यालय हो जायगा और उसका अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जायगा;

(2) यदि उक्त अधिनियम के अधीन गठित किसी चयन समिति द्वारा या अन्य प्रकार से किसी अधिकारी (जिसके अन्तर्गत अध्यापक या अन्य सेवक भी हैं) का कोई चयन किया गया हो, किन्तु उसके अनुसरण में नियत दिनांक तक कोई नियुक्ति न की गयी हो तो ऐसा चयन विखण्डित हो जायगा, और राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी सम्बद्ध पद पर लागू नियमों या आदेशों के अनुसार नयी भर्ती करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

10—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में, धारा 31 में, उपधारा (13) निकाल दी जायगी।

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित राष्ट्रपति अधि-नियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 31 का संशोधन

11—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों से अविरोधी ऐसे आदेश, और जो उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, दे सकती है :

कठिनाइयों को दूर करना

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नियत दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदन के समक्ष रखा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी, या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

12—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

13—(1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश, के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

(धारा 7 देखियें)

प्रतिकर अवधारित करने का सिद्धान्त

1—राज्य सरकार की ऐसी सम्पत्ति और आस्तियों को जिनका नियंत्रण और प्रबन्ध राज्य सरकार ने कार्यपालक आदेश द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1921 से विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दिया था और जो राज्य सरकार में पूर्ववत् निहित है, उस सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किया जायगा जिसके लिए प्रतिकर देय होगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1983

2—धारा 7 के अधीन देय प्रतिकर की राशि पैरा 3 के उपबन्धों के अनुसार आकलित विश्व-विद्यालय को नियत दिनांक पर संस्थाओं से सम्बन्धित अन्य सम्पत्तियों, आस्तियों और अधिकारों के मूल्यांकन के योगफल में से, पैरा 4 के उपबन्धों के अनुसार आकलित उक्त दिनांक पर संस्थाओं के ऋणों, दायित्वों और आभारों के योगफल को घटाई गई राशि के बराबर होगी।

3—नियत दिनांक को उक्त बाजार मूल्य का अवधारण निम्नलिखित प्रकार से गणना करके किया जायगा :—

(एक) भूमि और जवन या उस पर ब्याज के सम्बन्ध में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23 और 24 में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार;

(दो) ऐसे ऋण की जो विश्वविद्यालय को देय और संस्थाओं से संबंधित हों, चाहे प्रतिभूत या अप्रतिभूत ही, उतनी धनराशि जिसे युक्तियुक्त रूप से वसूल किये जाने योग्य समझा जाय;

(तीन) पूर्ववर्ती किसी खण्डों के अन्तर्गत न आने वाली समस्त मूल्य आस्तियों और सम्पत्ति का मूल्य।

4—संस्थाओं के कार्यकलाप के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त और नियत दिनांक को विद्यमान दायित्वों और आभार की कुल धनराशि का अवधारण पैरा 3 में निर्धारित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए किया जायगा।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 1513(2)/XVII-V-1—95-81

Dated Lucknow, April 27, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the King George Medical College Aur Gandhi Memorial and Associated Hospital (Graham Karna) Adhinyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 10 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 27, 1983:

**THE KING GEORGE'S MEDICAL COLLEGE AND THE GANDHI
MEMORIAL AND ASSOCIATED HOSPITALS (TAKING OVER)
ACT, 1983**

[U. P. ACT NO. 10 OF 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

**AN
ACT**

to provide, in the interest of the general public, for the re-transfer of the control and management of the King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals, Lucknow, from the University of Lucknow to the State Government, and for the taking over of the properties pertaining to the said College and Hospitals, with a view to ensuring, inter alia, the maintenance and development of all the medical colleges connected with the State Universities along with their associated hospitals on an integrated pattern, and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short
and
comment.
title
commen-

1. (1) This Act may be called the King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals (Taking Over) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 18, 1981.

2. In this Act,—

- (a) "Appointed date" means the date of commencement of this Act ;
- (b) "King George's Medical College" includes all dispensaries, lecture rooms, museums, laboratories, libraries, hostels and boarding houses used in connection with, or as accessories to, or adjuncts of the said College ;
- (c) "Gandhi Memorial and Associated Hospitals" means the Gandhi Memorial Hospital, the Queen Mary's Hospital, the Kasturba Clinic and Hospital (Tuberculosis), the Children Hospital, the hospital attached to the Faculty of Dental Sciences, the Leprosy Hospital and the Blood Bank, and includes all hospitals, dispensaries and laboratories which are attached to or adjuncts of any of the aforementioned hospitals and the blood bank ;
- (d) "the institutions" means the King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals ;
- (e) "the University" means the University of Lucknow ; and
- (f) references to the "State Government" shall be construed as including references to the Government of the United Provinces.

3. On and from the appointed date—

(a) the control and management of the institutions which was transferred by executive order with effect from March 1, 1921, from the State Government, to the University, together with the control and management of all properties and assets pertaining thereto which were in existence at the time of the said transfer, shall stand re-transferred from the University to, and vest in, the State Government ;

Taking over of the Institutions by Government and consequential provisions.

(b) all properties and assets pertaining to the institutions, whether acquired or created out of grants-in-aid from the State Government or otherwise (including any cash balances held by the University in the names of the institutions or on their account, whether in deposit with any bank or otherwise) shall stand transferred from the University to, and vest in, the State Government ;

(c) except as provided in section 5, all rights, powers, privileges, duties, debts, liabilities and obligations of the University, contractual or otherwise, arising or accrued or incurred in relation to the affairs of any of the institutions shall stand transferred to the State Government ;

(d) all references in any will, deed or other document, whether made or executed before or after the appointed date, which contains any bequest, gift, endowment, or trust in favour of the University for the purposes of any of the institutions shall be construed as if the State Government was therein named instead of the University.

4. The properties, assets and rights transferred to the State Government by virtue of this Act shall continue to be utilized for the purposes for which they were being utilized or were intended to be utilized immediately before the appointed date.

5. Subject to the provisions of section 6,—

(a) every wholetime officer (including teacher) or other servant of the University duly employed in connection with the affairs of any institution and serving the institution as such immediately before the appointed date shall, unless within 90 days from the appointed date he gives notice in writing to the State Government of his intention not to become an employee of the State Government, become an officer or other servant of the State Government and shall hold his office by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights as to retirement benefits or other matters as he would have held under the University if this Act had not been passed and shall continue to do so until his employment under the State Government is duly terminated or until those terms and conditions are duly altered by the State Government.

(b) every other officer (including teacher) or other servant of the University employed in connection with the affairs of any institution immediately before the appointed date may, if found suitable by the State Government or by such officer or authority as may be specified by the State Government in that behalf, and unless he gives notice in writing to the State Government of his intention not to become an employee of the State Government, be absorbed in Government Service, provisionally or finally, on such terms and conditions as the State Government may, by general or special order, specify, and shall thereafter become an officer or other servant of the State Government on those terms until his employment is duly terminated or until those terms and conditions are duly altered by the State Government, and the services of others shall stand determined in such manner and by order of such officer or authority as the State Government may specify in that behalf.

Explanation—For the purposes of this section, the expression “duly altered by the State Government” means altered by the State Government or by the State Legislature, as the case may be, either in exercise of the powers conferred by Article 309 of the Constitution or otherwise.

Saving as to services.

6. (1) Every officer or other servant whose services are transferred to the State Government under section 5, shall, notwithstanding anything contained in other provisions of this Act, be liable to be transferred and posted to any other medical college or, as the case may be, to a hospital attached to a medical college under the control and management of the State Government.

(2) Nothing contained in section 5 shall be deemed to apply to a government servant whose services were, immediately before the appointed date, on deputation from the State Government to the University.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force—

(a) the transfer of services of any employee of the University under section 5 or the termination of his services in consequence of his notice referred to in the said section or, as the case may be, in consequence of his not being absorbed in Government service, shall not entitle any such employee to any compensation, and

(b) no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.

Claim for compensation by University.

7. (1) If by virtue of the provisions of section 3, the University is deprived of any of its properties, assets and rights it may, within six months from the appointed date, prefer a claim to the State Government giving details of such properties, assets and rights, mentioning in respect of each item the details and manner of acquisition, its value on the date of acquisition, the funds from which it was acquired, its market value on the appointed date, and other relevant particulars.

(2) Upon receipt of any claim under sub-section (1) the State Government shall proceed in the manner hereinafter set out, that is to say,—

(a) if the State Government and the University having regard to the principles specified in the Schedule agree as to the details of the properties, assets and rights for which compensation is due and as to the amount of compensation payable therefor, the State Government shall pay the compensation so determined;

(b) where the State Government and the University disagree in respect of any of the matters referred to in clause (a), the State Government shall, within a period of one year from the date on which the claim is preferred, refer the matters in dispute to a Tribunal for decision in accordance with the principles specified in the Schedule;

(c) where the State Government fails to pay the amount claimed by the University within the period of one year specified in clause (b) or where the State Government fails to refer the matter in dispute to the

Tribunal within the said period, the University may within a period of next six months, refer such matter to the Tribunal.

(3) The Tribunal referred to in clauses (b) and (c) of sub-section (2), shall be appointed by the State Government and consist of a single member who is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court, and it shall have the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) making local inspections and issuing commissions for the examination of witnesses or documents or for local investigation;

(e) such other matters as may be prescribed.

(4) The Tribunal shall have the power to regulate its own procedure and decide all matters within its competence, and may review any of its decisions in the event of there being a mistake on the face of the record or correct any arithmetical or clerical error therein, but subject thereto the decision of the Tribunal on any matter within its jurisdiction shall be final.

(5) The amount of compensation, if any, upon being determined as aforesaid shall be paid to the University, in the discretion of the State Government either in cash or in not more than ten equal annual instalments, and the said amount or the balance outstanding at any time shall carry (simple) interest at the rate of six per cent per annum from the appointed date.

8. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

Protection for action taken under this Act.

9. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, and the statutes made thereunder,—

King George's Medical College to become constituent college.

(1) the King George's Medical College shall, with effect from the appointed date, become a constituent college of the University and shall be maintained by the State Government;

(2) if any selection of any officer (including teacher or other servant), has been made by any selection committee constituted under the said Act or otherwise but no appointment has been made until the appointed date in pursuance thereof such selection shall stand rescinded, and it shall be open to the State Government or other competent authority to make fresh recruitment in accordance with the rules or orders applicable to the post concerned.

10. In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, in section 31 sub-section (1b), shall be omitted.

Amendment of section 31 of President's Act no. 10 of 1973 as amended by U.P. Act no. 29 of 1974.

11. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may make such order, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Removal of difficulties.

Provided that no order shall be made under this sub-section after the expiry of a period of two years from the appointed date.

(2) Every order made under sub-section (1), shall be laid before both Houses of State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1), existed or required to be removed.

Powers to make rules.

12. The State Government may, by notification, made rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and savings.

13. (1) The King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals (Taking Over) Ordinance, 1983 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

U.P. C
nance
of 198

SCHEDULE

(See section 7)

Principles for determining Compensation

The properties and assets of the State Government the control and management of which was transferred by the State Government by executive order to the University with effect from March 1, 1921 and which continue to vest in the State Government shall not be included in the property of which the compensation shall be payable.

2. The compensation payable under section 7 shall be an amount equal to the sum total of the value of other properties, assets and rights of the University pertaining to the institutions on the appointed date calculated in accordance with the provisions of paragraph 3 less the sum total of its debts, liabilities and obligations pertaining to the institutions as on the said date, calculated in accordance with the provisions of paragraph 4.

3. The said market value shall be determined as on the appointed date, calculated as follows:—

(i) in respect of land and buildings or any interest therein, in accordance with the principles specified in sections 23 and 24 of the Land Acquisition Act, 1894;

(ii) the amount of debts to the University and pertaining to the institutions, whether secured or unsecured to the extent to which they are reasonably considered to be recoverable;

(iii) the value of all tangible assets and properties other than those falling within any of the preceding clauses.

4. The total amount of liabilities and obligations incurred by the University in connection with the affairs of the institutions and subsisting on the appointed date shall be determined having regard to the principles laid down in paragraph 3.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.